विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	277
उत्तर की तिथि	:	05.02.2019
विषय	:	बी0बी0एम0बी0 में प्रदेश को हिस्सा
प्रश्नकर्त्ता का नाम	:	श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री

	प्रश्न	उत्तर
(क)	बी0बी0एम0बी0 में प्रदेश के हिस्से के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार प्रदेश को देय धनराशि की अदायगी कर दी गई है; यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं; और	(क) एवं (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप भाखड़ा विस्थापितों को धनराशि का भुगतान करने का विचार रखती है?	

अतारांकित प्रश्न संख्याः 277 जो कि श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना जो सभा पटल पर रखी गई हैः–

(क) प्रदेश सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा परिचालित विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की याचिका "ओरिजिनल सूट नंबर 2/1996" में आदेश दिनांक 27.09.2011 द्वारा 7.19 प्रतिशत की है। यह हिस्सेदारी 01.11.2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है। 7.19 प्रतिशत निर्धारित हिस्सेदारी के अनुरूप इससे पहले की अवधि सम्बंधित विद्युत् बकाया का निपटारा अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय अटोर्नी जनरल को मध्यस्थ नियुक्त किया है और हाल में ही दिनांक 24.07.2018 को माननीय अटोर्नी जनरल की उनके कार्यालय में तीनों राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है एवं मामला प्रगति पर है।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2011 के अनुसार भाखड़ा विस्थापितों को किसी प्रकार की धनराशि का भुगतान करने सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं है यदि इस प्रकार का कोई निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है तो उस पर विचार किया जाएगा।

****